

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

सं० सं०-17/अग्रिम 1-01/2023

पटना, दिनांक :-

स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या-1267(17) दिनांक-27.11.2025 में अकिता डा० राजेश रजन सिन्हा, प्राध्यापक, पी०एस०एम० विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के "सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या-BHR/BHS-7489" को सशोधित रूप से "सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या-BHR/BHS-7849" पढा जाय।

2 उक्ता आदेश संख्या-1267(17) दिनांक-27.11.2025 के शेष भाग यथावत रहेगे।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

पटना, दिनांक :- 21.02.26

ज्ञापांक-17/अग्रिम 1-01/2023 - 234(17)

प्रतिलिपि :- निदेशक, सामान्य भविष्य निधि निदेशालय, वित्त भवन, गर्दनीबाग, पटना, पिन कोड-800001/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० राजेश रजन सिन्हा, प्राध्यापक, पी०एस०एम० विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।

सं0स10-17/अग्रिम 1-01/2023 - 1267(17)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

रेणु कुमारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी

सेवा में,

जिला भविष्य निधि पदाधिकारी,
पटना।


पटना, दिनांक- 27-11-25

विषय :- डा० राजेश रजन सिन्हा, प्राध्यापक, पी०एस०एम० विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को उनके सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या-BIAR/BIIS-7489 से अपने पुत्री के विवाह हेतु 10,00,000/- (दस लाख) रुपये अप्रत्यर्णनीय अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश : बिहार सामान्य भविष्य निधि (सशोधन-2) नियमावली, 2017 के नियम-15 की कडिका 2(ख) के अन्तर्गत विशेष परिस्थिति में पुत्री के विवाह के निमित्त अप्रत्यर्णनीय अग्रिम की स्वीकृति।

- डा० सिन्हा वित्त विभागीय सकल्प सं०-7730(वि०) दिनांक-18.07.1964 में निहित सामान्य भविष्य निधि से अप्रत्यर्णनीय अग्रिम निकासी की स्वीकृति संबंधी सभी अनुबन्धों/शर्तों को पूरा करते हैं।
- डा० सिन्हा को उपर्युक्त अप्रत्यर्णनीय अग्रिम की निकासी के लिए वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 12443/ वि० दिनांक-05.10.1972 के अनुसार महालेखाकार (ले० एव ह०), बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की अगिवार्यता नहीं है।
- डा० सिन्हा को उपर्युक्त अग्रिम की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि जॉच पत्र पर अनुमोदित राशि में से इसके पूर्व किसी प्रकार की अग्रिम निकासी नहीं की गई हो।
- इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार का मतव्य प्राप्त है।
- उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन


(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।